भारत निर्माण सेवक परियोजना, भीलवाड़ा

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाए संचालित है। वर्तमान परिपेक्ष्य में इन योजनाओं की क्रियान्विति में अपेक्षित गति व त्वरित उपादेयता की कमी का अनुभव किया जाने के कारण लोगो में अरूचि की स्थिति बन निराशा रही है। इस स्थिति से उबरने के लिए मंत्रालय ने भारत निर्माण सेवकों की स्वैच्छिक एंव निस्वार्थ सेवाएं ली जाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

गांवो का काम गांव में ही, गांव के ही लोगो द्वारा किये जाने हेतु गांव के ही लोगो से चयनित सेवाकर्मियो को दायित्व दिया जाकर कार्यक्रमो की समुचित जानकारी देने की अभिनव क्रियान्विति किए जाने के उद्वेश्य से समुदाय की सकारात्मक एवं रचनात्मक भागीद्वारी के साथ साथ विभिन्न विभागों एवं संस्थाओ के कार्यक्रमों व गतिविधियो के सफल संचालन और उपयोग हेतु समस्त जानकारीयों को ग्रामीण क्षेत्रो में सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है।

इसी उद्वेश्य की पूर्ति हेतु दिंनाक 30 अगस्त 2011 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नितिन चन्द्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागो के जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभागो में इन भारत निर्माण सेवकों की समुचित सेवाओं के सम्बंध में निम्नांकित सुझाव देकर इन्हे पूर्ण सहयोग प्रदान करने का भी विश्वास दिलाया है।

1— कृषि विभाग

- कृषि विभागीय नवीनतम तकनीकी की जानकारी कृषकों तक पहुँचाना।
- कृषि विभाग द्वारा कृषको को देय सुविधाओं की जानकारी कृषकों तक पहुँचाना– विशेष रूप से कृषि यंत्र, भूमि सुधार, बीज उत्पादन, फसल प्रदर्शन, फार्म पोण्ड एवं कृषक प्रशिक्षण इत्यादि।
- कृषको की मांग अनुसार आवेदन पत्र तैयार करना तथा कृषि उत्पादन योजना तैयार करने में सहयोग करना, डाटा एकत्रित करना आदि।
- आदान व्यवस्था में सहयोग करना, स्थानीय आदान विक्रताओं द्वारा वितरित आदानों की दरो पर निगरानी रखना, समय पर आदान व्यवस्था, मांग एवं कमी होने से पूर्व अवगत करवाना।
- फसलो में कीट, रोग होने की सूचना देना एवं नियंत्रण उपाय की जानकारी देना।
- समूह के आधार पर कृषि यत्रों का किराये पर संचालन।
- कृषि विपणन, खाद्य प्रसंस्करण एवं स्वंय सहायता समूह निर्माण में सहयोग करना।

2—उद्यान विभाग

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रचार—प्रसार कर कृषकों के प्रक्षेत्रों पर बगीचों की स्थापना कराना।
- स्थापित बगीचों की कीडे व बिमारियों की जानकारी प्राप्त करने में सहयोगी हो सकते है।

3—पशुपालन विभाग

- सम्बंधित ग्राम में "पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार" शिविरों का प्रचार कर पशु चिकित्सा शिविर में अधिक पशुओं का उपचार, एवं अधिक पशुपालको की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- ग्राम में पशुओं में रोग फेलने के समय पास के पशु चिकित्सक को सूचना देकर तुरन्त पशु चिकित्सा की व्यवस्था एंव टीकाकरण में सहयोग।
- सड़क दुर्घटना के समय में पशु चिकित्सक को समय पर सूचना देकर पशुपालको की मदद करना।
- पशुओं का बीमा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि में पशु चिकित्सक से सेवाऐं प्रदान कराने में मदद।
- ग्राम स्तरीय पशु चिकित्सालयो के समय पर खुलने, पशु चिकित्सको की उपस्थिति एंव व्यवहार के बारे में जिला कार्यालय को सूचित कर सकते है।

4– डेयरी

- नये सदस्यो को समिति से जोडने के लिये प्रेरित करना :– प्रत्येक भारत निर्माण सेवक के साथ 20 से 25 सदस्य/परिवार जुडे है, इन सदस्यो को डेयरी समिति की समस्त सुविधाओ की जानकारी देना एवं उन्हे समिति का सदस्य बनाकर दुग्ध व्यवसाय से जोडना।
- पशुक्रय करने हेतु बैको से ऋण दिलाना
- सदस्यो के बीमा सम्बंधित क्लेम एवं जानकारी देना जनश्री बीमा सरस आरोग्य बीमा एवं दुर्धटना बीमा आदि के क्रियान्वयन एवं क्लेम, छात्रवृति आदि का सही रूप से वितरण होने की जानकारी ले सकेगे एवं यदि कोई अनियमित्ता पाई जाती है तो टेलीफोन पर उसकी सूचना संघ के सम्बंधित अधिकारी को देकर निराकरण कराया जा सकता है।
- पशुओ के टीकाकरण एवं केम्प सम्बंधी जानकारी :– भीलवाडा संघ द्वारा प्रत्येक समिति सदस्यो के पशुओ में गलघोटू, सुगलिया, एवं फडकिया बीमारी के टीके लगाये जाते है। साथ ही प्रत्येक पशु को पेट के किडे मारे की दवा भी दी जाती है, एवं पशुओ के इलाज हेतु लगाये जाने वाले केम्प की सूचना भी इन भारत निर्माण सेवको द्वारा घर–घर पहुचाकर अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।
- समितियो की समस्याओ के समाधान में सहयोग :– आपातकालीन चिकित्सा, प्राथमिक पशु चिकित्सा, पशुआहार की उपलब्धता, गुणवत्ता, सदस्य बीमा से सम्बंधित आदि समस्याओ का समाधान में सहयोग किया जा सकता है।

5–नरेगा

- फार्म नं.–6 की उपलब्धता व उसकी रसीद प्राप्ति।
- पांच–पांच के समुह में कार्य व प्रतिदिन की मजदुरी जानना।
- समय पर भुगतान।
- व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की पात्रता व अपना खेत आपना काम की पात्रता की जानकारी।
- गांव में हुऐ श्रेष्ठ कार्यो की सूची एवं आवश्यक कार्य जो अब तक सम्पादित नहीं हो सके।
- योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की गुणवत्ता की जानकारी।

6–जलग्रहण

- जलग्रहण विकास परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना क्षेत्र के चयनित जलग्रहण समिति, उपभोक्ता समूह एवम् स्वयंसेवको द्वारा किया जाता है। जो स्वंयसेवक तकनीकी जानकारी रखता हो उसका परियोजना क्षेत्र की ग्राम पंचायत में चयन किया जा सकेगा।
- योजनाओं की क्रियान्विति हेतु जैसे कि निजी काश्तकारों के खेतो पर कन्टुर वेजिटेटिव बडं, कृषि वानिकी, उघानिकी फसल उत्पादन इत्यादि कार्य कराने हेतु काश्तकारो के चयन में मदद एवम् कार्यो की गुणवत्ता पुर्वक कियान्विती में इनकी मदद।
- अकृषि भूमि पर चारा एवम् ईधन वृद्वि हेतु चारागाह विकास के कार्य कराये जाते है, परन्तु पिछले वर्षो के कार्यो में ग्रामवासियों का पूर्ण योगदान नही होने के कारण उनमें मवेषी चराकर नष्ट कर दिया जाता है इस हेतु भारत निर्माण सेवकों को परियोजना के उपलब्ध प्रषिक्षण मद से प्रशिक्षित किया जाकर जलग्रहण विकास के स्थायित्व एवम् गुणवत्ता पूर्वक कार्यो का सम्पादन किया जा सकेगा।
- नाला उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत नाड़ी निर्माण, जल संरक्षण संरचना (WHS) चैकडेम इत्यादि के कार्य कराये जाते है परन्तु कार्य पूर्ण कराये जाने के पश्चात इनका उचित मरम्मत एवम् रखरखाव ग्रामवासियो द्वारा नही करने के कारण इनका पूर्ण उपयोग नही हो पाता। इस हेतु संरचनाओ से लाभ लेने वाले समूहो का गठन भारत निर्माण सेवको के मार्फत किया जा सकता है इस हेतु भारत निर्माण सेवकों को परियोजना के उपलब्ध प्रषिक्षण मद से प्रषिक्षित किया जाकर जलग्रहण विकास के स्थायित्व एवम् गुणवत्ता पूर्वक कार्यो का सम्पादन किया जा सकेगा।

7– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना में BNS की भागीद्वारी होना
- गांव में होने वाली मौसमी एवं सामान्य बीमारीयों की वास्तविक सूचनाएं विभाग को भिजवाने में सहयोग।
- टीकाकरण तथा जागरूकता शिविरों एवं ग्राम स्वास्थ्य समितियों में इनकी भूमिका को सुनिश्चित कर ग्रामीणो को पारदर्शी सेवा हेतु समन्वय कर सकते है।

- बीपीएल परिवार को निःशुल्क चिकित्सा में सहयोग प्रदान करना
- 108 सुविधा का व्यापक प्रचार प्रसार।
- टीबी व अन्य बिमारियों के उपचार में सहयोग

8- जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग

- पेयजल हेतु शुद्व एवं स्वच्छता के सम्बधं में BNS को जानकारी दी जाकर इनको कार्मिको के साथ सहयोग एवं समवंय हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- हेण्ड पम्पों तथा अन्य पेयजल स्त्रोतों का BNS द्वारा डेटाबेस एकत्रित कर वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्यवाही को गति दी जा सकेगी।
- विभाग द्वारा जल सेम्पल परीक्षण हेतु BNS को किट दिये जाकर इन्हे इस हेतु विभाग द्वारा प्रद्वत मानदेय भी दिया जा सकता है।

9–वन विभाग

- BNS को वनमित्रों के साथ जोडकर स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कार्ययोजना एवं कियान्विति का प्रयास किया जा सकता है।
- नर्सरी, बागवानी व वनीय क्षेत्रों में पौधो एवं पेडो की अवैध कटाई को रूकवाने मे सकारात्मक भूमिका निभाई जा सकती है।

10–सिंचाई विभाग

- पानी की गुणवत्ता नियंत्रण, जल वितरण समितियो में भागीदारी एवं जल उपयोग तथा वितरण समितियो में कारगर प्रयास किया जा सकता है।
- सेवको के माध्यम से पानी–पंचायत का गठन कर सेवाओं को उतमता प्रदान की जा सकती है।

11–एस.जी.एस.वाई.

- स्वंय समूहो के गठन में इन सेवकों का सहयोग लिया जाकर बैंक से जोडने सबंधी कार्यवाही व पारदर्शीता को मूर्तरूप दिया जा सकता है।

12–समाज कल्याण विभाग

- व्यक्तिगत लाभ की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाकर शिविरों, कैम्पो एवं कार्यक्रमो में इनकी रचनात्मक भूमिका द्वारा सही एवं वास्तविक आवश्यकता वाले वंचित लाभार्थियों को सहयोग किया जा सकता है।

13–महिला एवं बाल विकास विभाग

- नई महिला कार्यकर्ता के चयन में सहायता कर सकते है।
- सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाल विवाह रोकथाम व अन्य कार्यो के लिये किया जा सकता है।
- नवीन लोकप्रिय "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना" से जोड़कर इन्हें महत्वपूर्ण उतरदायित्व सौपा जा सकता है।

14–सार्वजनिक निर्माण विभाग

- सडको तथा आम रास्तो से अतिक्रमण हटाने
- नवीन प्रस्ताव तैयार करवानें, यातायात के नियमो की जानकारी देने, नरेगा की वास्ततिक स्थिति एवं आवश्यकताओं का आकलन कर सूचनाए प्राप्त करने का कार्य किया जा सकता है।
- सडक व भवन निर्माणो के समय उनकी गुणवता एवं योजनानुसार कार्यवाही की सुचनाओ के तंत्र के रूप में उपयोग में किया जा सकता है।

15–बैंक

- BNS को वित्तीय साक्षरता कार्यकम से जोडकर ग्रामीणो को बैंको से लाभान्वित करने सबंधी कार्यवाही से जोडने का आव्हान किया जा सकता है।
- बैंक द्वारा इन्हें अपने प्रपत्र एवं फोल्डर वितरित किया जाकर एक सामान्य जानकारी दी जाकर इन्हे अपने प्रतिनिधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- ग्रामीण बैकिंग सेवा में गति एवं पारदर्शिता लाई जा सकती है।
- ऋण आवेदन पत्र तैयार करवाना।
- बचत खाता खुलवाने मे सहयोग करवाना।
- किसान केडिट कार्ड दिलवाना।